भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

NOTARIAL CANCEL

प्ररूप -26

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND [नियम 4 क देखिए] 00AA 958790

...50 रानीखेत विधान सभा..... निर्वाचन क्षेत्र से
[निर्वाचन क्षेत्र का नाम]

उत्तराखण्ड विधानसभा [सदन का नाम] के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला शपथ-पत्र

मैं ...महेन्द्र सिंह........ पुत्र/~~पुत्री/पत्नी~~ ...मोहन सिंह... आयु 39 वर्ष, जो ग्राम एवं पो० भिकियासैण जि० अल्मोड़ा का/की निवासी हूं और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं/~~करती हूं~~ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूं/~~करती हूं~~ :-

शपथ पत्र प्रारूप 26 संलग्न है

[illegible] Mahendra Singh
[illegible] Mohan Singh
[illegible] Bhikyasen Almora
[illegible]
11-1-2012

Suman Gupta
Notary, Advocate,
Bhikyasen (Almora)

प्रारूप–26

(नियम 4 क देखिए)

50 रानीखेत विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

उत्तराखण्ड विधानसभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला शपथ–पत्र

मैं महेन्द्र सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी मोहन सिंह आयु 39 वर्ष, जो ग्राम एवं पोस्ट [illegible] जि. अल्मोड़ा का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/~~करती हूँ~~/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/~~करती हूँ~~ :–

1– मैं, ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दडंनीय किसी अपराध (अपराधो) का/की अभियुक्त नही हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं ।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी):

(i) मामला/प्रथम सूचना रिर्पोट संख्या/संख्यांए लागू नहीं

(ii) पुलिस थाना (थाने) लागू नहीं जिला (जिले) लागू नहीं राज्य लागू नहीं

(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है लागू नहीं

(iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई लागू नहीं

(v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था/किए गए थे लागू नहीं

(vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं लागू नहीं

2– मुझे किसी अपराध (अपराधों)(लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (1951) (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ~~ठहराया गया है~~/नही ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट ~~किया गया है~~/नही किया गया है ।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा)

(i) मामला प्रथम सूचना रिर्पोट संख्या/संख्याएं लागू नहीं

(ii) न्यायालय, जिसने दंडित किया है लागू नहीं

(iii) पुलिस थाना (थाने) लागू नहीं जिला (जिले) लागू नहीं राज्य लागू नहीं

(iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधो का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है लागू नहीं

(v) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे लागू नहीं

(vi) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए है लागू नहीं

स्थानः मोकोकचुंग

तारीखः 10-01-2012

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथपत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नही है और कोई तात्विक बात छिपायी नही गई है ।

मोकोकचुंग स्थान पर आज तारीख 10-01-2012 को सत्यापित किया ।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

टिप्पणीः इस प्ररूप के वे स्तंम्भ, जो अभिसाक्षी को लागू नही है, काट दिए जाएं ।